टी0ए0 मिस केस सं0 34/2020-21

आदेश क्रमांक	आदेश	अभ्युक्ति
19/02/2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **भोलानाथ देवगम, पिता/पति– स्व० गंगाराम देवगम, ग्राम– मतकमहातु,** थाना–**मुफ्फसिल,** जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– **मतकमहातु,** थाना नं0– **642,** खाता न0– **07,** प्लॉट न0– **630,** रकवा– **0.10एकड़,** भूमि क्रेता **सावित्री हाईबुरू, पिता/पति– प्रधान हाईबुरू, ग्राम– परमपंचो,** थाना– **मुफ्फसिल,** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के स्वंय एंव अन्य के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं०–82/R27 2020–21 द्वारा नामान्तरित होकर है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **204**,दिनांक **17.02.2021** के द्वारा प्राप्त है। गृह निर्माण एंव देन परिदेन हेतु भू–खण्ड को **सावित्री हाईबुरू, पिता/पति–प्रधान हाईबुरू, ग्राम–परमपंचो,** थाना– **मुफ्फसिल,** के पास **4,90,000.00/– (चार लाख नब्बे हजार रूपये)** मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी **2.50** एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **भोलानाथ देवगम, पिता/पति– स्व० गंगाराम देवगम, ग्राम– मतकमहातु,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **मतकमहातु,** थाना नं0– **642,** खाता न0– **07,** प्लॉट न0– **630** रकवा– **0.10एकड,** भूमि को क्रेता **सावित्री हाईबुरू, पिता/पति–प्रधान हाईबुरू, ग्राम–परमपंचो,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 19/2 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 19/02/2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

RajRamanGope

Scanned with CamScanner